

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -19/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

पुकलु हजाम बनाम छुनु हजाम वगैरह

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

पुकलु हजाम पिता-स्व० जुगल हजाम, ग्राम-खटंगा, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-खेती वारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

1. छुनु हजाम पिता-स्व० वीरबल हजाम वो 2. उपेन कुमार प्रमाणिक पिता-स्व० बसंत हजाम, दोनो ग्राम-खटंगा, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-खेती वारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-03/06/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1. छुनु हजाम पिता-स्व० वीरबल हजाम वो 2. उपेन कुमार प्रमाणिक पिता-स्व० बसंत हजाम, दोनो ग्राम-खटंगा, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-खेती वारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
खटंगा	सोनाहातु/84	16	22	0.06 ए० चौहद्दी:- उ०-दशरथ कु०। द०-विनोद महतो। पू०-मुख्य पथ। प०-अर्जुन महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-280(ii) दिनांक-08/08/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत जगमोहन हजाम वल्द सेतु हजाम वो गोबिन्द हजाम वल्द राम हजाम वो जगरनाथ हजाम वो कनवर हजाम पे० कारतकि हजाम के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी-II के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है।

(3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम भूषण हजाम वो पुरन हजाम वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-10.79 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021-22 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।

२

- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी (दोन III) किस्म की है।  
 (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-10.73 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।  
 (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।  
 (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जाति के है।  
 (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता पुकलु हजाम पिता-स्व० जुगल हजाम, ग्राम-खटंगा, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-खेती वारी, को क्रेता 1. छुनु हजाम पिता-स्व० वीरबल हजाम वो 2. उपेन कुमार प्रमाणिक पिता-स्व० बसंत हजाम, दोनो ग्राम-खटंगा, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-खेती वारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-11/06/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता पुकलु हजाम पिता-स्व० जुगल हजाम, ग्राम-खटंगा, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-खेती वारी, को क्रेता 1. छुनु हजाम पिता-स्व० वीरबल हजाम वो 2. उपेन कुमार प्रमाणिक पिता-स्व० बसंत हजाम, दोनो ग्राम-खटंगा, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-खेती वारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

#### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
खटंगा	सोनाहातु/84	16	22	0.06 ए० चौहददी:- उ०-दशरथ कु०। द०-विनोद महतो। पू०-मुख्य पथ। प०-अर्जुन महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

  
 भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
 बुण्डू (राँची)।

  
 भूमि सुधार उप समाहर्ता।  
 बुण्डू (राँची)।